न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 31/2022 तारीख रजू:— 01.06.2022

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

हरीसिंह जाटव पुत्र श्री शिब्बू जाति जाटव निवासी नथोले का पुरा खरेटा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0 ———————————————— प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली राज0—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :— 1. श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :— 09.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 5019 रकबा 1.03 है0, 5031/6051 रकबा 0.18 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.21 है0 वाके ग्राम नथोले का पुरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0 स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं0 1 प्रार्थना पत्र के मुताबिक जमाबंदी प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती से हरीसिंह के स्थान पर हटीला दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी का सही नाम हरीसिंह पुत्र शिब्बू है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थी का अन्य राजस्व रिकोर्ड की जमाबंदी खाता सं0 94 के खसरा नं0 5403 रकबा 0.19 है0, 5404 रकबा 0.07 है0, 5413 रकबा 0.10 है0, 5414 रकबा 0.09 है0, 5415 रकबा 0.19 है0, 5416 रकबा 0.13 है0, 5417 रकबा 0.13 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम नथोले का पुरा तह0 हिण्डौन में स्थित है। जिसमें प्रार्थी

हरीसिंह पुत्र शिब्बू 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। जिससे भी भली प्रकार से स्पष्ट होता है कि राजस्व कर्मचारीयों ने खाता सं0 नया 119 की जमाबन्दी में हरीसिंह के स्थान पर हटीला गलत दर्ज कर दिया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थी के समस्त दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, आयकर विभाग का पेन कार्ड भामाशाह कार्ड आदि समस्त सरकारी रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम हरीसिंह दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम हटीला ना होकर हरीसिंह है। इसलिये आराजी मुतजिका मद नं0 1 प्रार्थना पत्र राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रार्थी का नाम हटीला के स्थान पर हरीसिंह दर्ज कराया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि आराजी मुतजिका मद नं0 1 प्रार्थना पत्र राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी द्वारा हटीला के स्थान पर हरीसिंह दर्ज कराने हेतु अप्रार्थी से दि0 19.05.2022 को मिला और उसमें राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करने हेतु निवेदन किया तो उन्होने उक्त दुरूस्ती हेतु इन्कार कर दिया और श्रीमान के यहां अदालत में चाराजोही करने के लिये कहा। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र को सुनने व फैंसल करने का श्रीमानजी को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 5019 रकबा 1.03 है0, 5031/6051 रकबा 0.18 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.21 है0 वाके ग्राम नथोले का पुरा के राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी खाता सं0 नया 119 के खातेदारी के कॉलम में हटीला पुत्र शिब्बू के स्थान पर हरीसिंह पुत्र शिब्बू दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें। अन्य दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुफीद प्रार्थी साबित हो, वह भी अता फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने बाद तामील तहसीलदार सूरौठ जिला करौली ने पत्रांक कोर्ट/2025/37 दिनांक 04.03.2025 से उक्त प्रकरण का जबाव प्रार्थना पत्र मुताबिक रिपोर्ट भू0अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का जगर के अुनसार बिन्दुवार पेश

कर जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि ग्राम नथोले का पुरा की जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 119 में खातेदार हटीला पुत्र शिब्बू हि० पूर्ण जाति जाटव निवासी नथोले का पुरा दर्ज रिकार्ड है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि यह है कि प्रार्थना पत्र में हरिसिंह पुत्र शिब्बू के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, पेन कार्ड, जन आधार आयुष्मान कार्ड में हरिसिंह पुत्र शिब्बू दर्ज हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि मुताबिक आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, पेन कार्ड, जन आधार आयुष्मान कार्ड के अनुसार हरिसिंह पुत्र शिब्बू दर्ज किया जाना उचित होगा।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 119 में खातेदार हटीला पुत्र शिब्बू के स्थान पर हरिसिंह पुत्र शिब्बू जाति जाटव किया जाना उचित होगा।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76, नकल जमाबन्दी सं0 2073–76, फोटो प्रति भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र सं0 RJ/11/086/276219, फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 715780171018 हरि सिंह पुत्र शिब्बू, नथोले का पुरा, खरेटा, करौली, राजस्थान 322230, फोटो प्रति आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड (NIMPS6244H) हरि सिंह पुत्र शिब्बू, फोटो प्रति भामाशाह कार्ड परिवार पहचान सं. YDAUCAW पूजा जाटव पति अजय सिंह ससुर हरि सिंह निवासी नथोले का पुरा, जगर, हिण्डौन करौली 322230, फोटो प्रति जनाधार कार्ड परिवार पहचान सं. 5014708738 पूजा जाटव पति अजय सिंह ससुर हरि सिंह निवासी नथोले का पुरा, कोटवास, हिण्डौन करौली, फोटो प्रति आयुष्मान कार्ड आभा नम्बर 91622251037371 हरि सिंह निवासी नथोले का पुरा सूरौठ करौली, फोटो प्रति राशन कार्ड बार कोड सं0 007652300307 हरि सिंह निवासी नथोले का पुरा हिण्डौन, पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 5019 रकबा 1.03 है0, 5031/6051 रकबा 0.18 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.21 है0 वाके ग्राम नथोले का पुरा तहसील सूरौठ की खातेदारी हटीला पुत्र शिब्बू हिस्सा पूर्ण जाति जाटव सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार आराजी खसरा नं0 5403 रकबा 0.19 है0, 5404 रकबा 0.07 है0, 5413 रकबा 0.10 है0, 5414 रकबा 0.09 है0, 5415 रकबा 0.19 है0, 5416 रकबा 0.13 है0, 5417 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम नथोले का पुरा तहसील सूरौठ की खातेदारी हरीसिंह पुत्र सिब्बू हिस्सा 1/16 जाति जाटव सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक जमाबन्दी खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र संख्या आरजे/11/086/276219 हरिसिंह पुत्र शिब्बू के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 715780171018 हरिसिंह पुत्र शिब्बू निवासी नथोले का पुरा खरेटा, तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति पेन कार्ड कार्ड NIMPS6244H हरिसिंह पुत्र शिब्बू के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति भामाशाह कार्ड सं0 YDAUCAW पूजा जाटव पति अजय सिंह ससुर हरिसिंह निवासी नथोले का पुरा, जगर, हिण्डौन करौली 322230 के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति जनआधार कार्ड परिवार पहचान सं. 5014708738 पूजा जाटव पति अजय सिंह ससुर हरि सिंह निवासी नथोले का पुरा, कोटवास, हिण्डौन करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति राशन कार्ड बार कोड सं0 007652300307 हरिसिंह जाटव पुत्र गिब्बूराम नि0 नथोले का पुरा जगर हिण्डौन के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति आयुष्मान कार्ड आभा नं0 91622251037371 हरिसिंह निवासी नथोले का पुरा सूरौठ के नाम से जारी किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम हरिसिंह पुत्र शिब्बू है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हटीला पुत्र शिब्बू दर्ज हो गया है। तहसीलदार सूरौठ ने भी अपने जबाव प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि खाता संख्या 119 में खातेदार हटीला पुत्र शिब्बू के स्थान पर हरिसिंह पुत्र शिब्बू जाति जाटव किया जाना उचित होगा। इस प्रकार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरूस्ती कराने का अधिकारी साबित है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 5019 रकबा 1.03 है0, 5031/6051 रकबा 0.18 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.21 है0 वाके ग्राम नथोले का पुरा तहसील सूरौठ में खातेदार हटीला पुत्र शिब्बू हिस्सा पूर्ण जाति जाटव सा0 देह खातेदार के स्थान पर हरीसिंह पुत्र शिब्बू हिस्सा पूर्ण जाति जाटव सा0 देह खातेदार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 9/4/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली